संचिका संख्या : 672/4/24/2021

दिनांक : .24.06.2022

आवेदक के द्वारा बिहार के अस्पताल में डॉक्टर एवं अधीक्षक के द्वारा दवा बेचने का आरोप लगाते हुए यह भी आरोप लगाया गया है कि नालन्दा जिला में पावापुरी और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ज्यादातर दवाई बाहर से लाने को कहा जाता है। जबकि पहुंच वाले लोगों को महंगी दवाई मिल जाती है।

उपरोक्त आवेदन पर राज्य आयोग के निर्देश के आलोक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं के विभाग के साथ मुख्य महाप्रबंधक आपूर्ति श्रृंखल
BMSICL का प्रतिवेदन जो निदेशक प्रमुख को संबोधित है उपलब्ध कराई गई है(पृष्ठ 30–40/प0) जिसके द्वारा यह प्रतीत होता है कि बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) के अनुरूप दर अनुबंधित दवाओं के क्रय कर बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगत लिमिटेड BMSICL के द्वारा संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों को उनकी अधियाचना के आधार पर आपूर्ति की जाती है। निगम के द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को सीधे तौर पर एवं जिला अंतर्गत अन्य सरकार अस्पतालों को संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति की जाती है।

वर्तमान में निगम के पास कुल 255 दवाओं (अब तक की उच्चतम संख्या) का दर अनुबंध है, जिनकी आपूर्ति राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों को उनकी अधियाचना के अनुरूप की जाती है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि जिला के अंतर्गत अवस्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों के लिए निगम के स्तर से दवाओं की आपूर्ति जिला स्तर अर्थात् सिविल सर्जन के कार्यालय के स्तर से की जाती है। जहाँ से उनके अधीन स्थित अन्य अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति उनके कार्यालय के सतर से की जाती है। जहाँ तक परिवाद में अंकित नालंदा जिला के पावापुरी और बिहारशरीफ के सदर अस्पताल का प्रश्न है, तो इस संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय, नालंदा को गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में अद्यतप उनसे प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध आपूर्ति दवाओं की सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। साथ ही पावापुरी स्थित वर्द्धमान आयूर्विज्ञान संस्थान को वित्तीय

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में उनके अधियाचना के आलोक में अद्यतन आपूर्ति दवाओं की सूची भी संलग्न है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक दवाएँ जिनकी आपूर्ति दर अनुबंध के नहीं रहने अथवा अनुपलब्धता के कारण निगत के स्तर से नही हो पाती हैं, का क्रय संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों/ अस्पतालों के द्वारा विभागीय निदेशों के आलोक में सीधे की जा सकती है।

इस तरह परिवाद में अंकित विषय वस्तु यथा किसी स्वास्थ्य संस्थान में दवा की कमी अथवा वितरण में अनियमितता के संबंध में संबंधित स्वास्थ्य संस्थान ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। एवं निगम इससे संबंधित नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के प्रति असैनिक शल्य चिकित्सक नालन्दा को भेजते हुए एवं आवेदक को भेजते हुए उन्हें दिनांक 01.10.2021, 11.01.2022 एवं 18.04.2022 के आदेश के द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर दिया गया था, परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रतिवेदन में दिये गये तिथियों जिसके विरुद्ध आवेदक को अवसर दिये जाने के बावजूद कोई भी ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराये गये है। अतः इस आवेदन को आगे की कार्रवाई बंद करते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson